



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो.1527-पीबीआर/13

जिला-विदिशा

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-3-15	<p>आवेदक की ओर से श्री प्रदीप के. श्रीवास्तव, अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया ।</p> <p>आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताये गये कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्र.क्र. निग.881-एक/11 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 <p>सदस्य</p>



न्यायालय : राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

Resro 1527-PBPM-3

प्रकरण क्रं.

/2013 रेस्टोरेशन - Resro 1527 PBPM

श्री. यशोवन्त शर्मा  
राजस्व मंडल

गुजरात  
राजस्व मंडल

ब्रह्मानंद तिवारी पुत्र  
श्री सुखलाल तिवारी  
आयु- 60 वर्ष,  
निवासी-ग्राम-मेहलुआ चौराहा,  
तहसील-कुरवाई, जिला-विदिशा  
(म० प्र०)

श्री. यशोवन्त शर्मा, कलकत्ता

- आवेदक

द्वारा आज दि 24-4-13 को  
प्रस्तुत

कलकत्ता ऑफ कोर्ट  
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. म० प्र० शासन द्वारा-कलेक्टर,  
जिला-विदिशा

2. ओमप्रकाश पुत्र श्री बाबुलाल,  
निवासी-मेहलुआ  
तहसील-कुरवाई, जिला-विदिशा  
(म० प्र०)

- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म०प्र०मू०रा० संहिता 1959  
वास्ते प्रकरण क्रमांक ~~888~~<sup>881</sup>-1/2011 निगरानी ब्रह्मानंद  
तिवारी विरुद्ध म० प्र० शासन आदि पुनः नम्बर पर लिये जाने  
हेतु आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नलिखित है:-

यहकि, प्रकरण क्रमांक 888-1/2011 निगरानी ब्रह्मानंद तिवारी  
विरुद्ध म० प्र० शासन आदि माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक  
04-01-2013 तर्क हेतु नियत था, परंतु माननीय न्यायालय ने उक्त

